बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

प्रत्रांकः— प्र01/बादाम कोल ब्लॉक—03/2015 पटना, दिनांक—

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः— **बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान के विस्तार परियोजना (2X250MW) में कोयला आपूर्ति हेतु बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को आवंटित बादम कोल ब्लॉक, हजारीबाग के विकास हेतु 305.75 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017—18 में 70.94 करोड़ (सत्तर करोड़ चौरानवे लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के आवंटन आदेश सं 103/20/2015/NA दिनांक 31.08.2015 द्वारा हजारीबाग, झारखण्ड में अवस्थित बादम कोल ब्लॉक बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि० को इसके बरौनी स्थित 2x250MW विस्तारित वाष्प शक्ति इकाईयों में कोयले की आपूर्ति हेतु आवंटित किया गया है एवं तद्नुसार बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना द्वारा एकरारनामा किया गया है। इस आवंटित कोल ब्लॉक से कुल कोयले का उत्पादन 3 MTPA संभावित है जो उत्पादन इकाईयों हेतु 33 वर्षों तक कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ज्ञात हो कि बादम कोल ब्लॉक से आपूरित कोयले की दर बाजार दर से कम होगी जिसके फलाफल में प्रति यूनिट बिजली उत्पादन का दर 1.00 रूपये प्रति यूनिट कम होना संभावित है।

2. विभागीय राज्यादेश सं0— 950, दिनांक—17.03.2017 के द्वारा बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान के विस्तार परियोजना (2X250MW) में कोयला आपूर्ति हेतु बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को आवंटित बादम कोल ब्लॉक, हजारीबाग के विकास हेतु 305.75 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016—17 में 60.00 करोड़ (साठ करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को राशि उपलब्ध कराया गया। कार्य की प्रगति को देखते हुए इस योजना के सूचारू कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराई गई राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017—18 में 70.94 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

3. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान के विस्तार परियोजना (2X250MW) में कोयला आपूर्ति हेतु बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को आवंटित बादम कोल ब्लॉक, हजारीबाग के विकास हेतु 305.75 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017—18 में 70.94 करोड़ (सत्तर करोड़ चौरानवे लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. बजट मुख्य शीर्ष 4801—बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—02 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष— 190—सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, मांग सं0—10, उपशीर्ष—0102 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड की परियोजना, विपत्र कोड— 10-4801021900102, विषय शीर्ष—5401—निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017—18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0एल0खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120– अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0045–बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड व्यय शीर्ष एल0 8448001200045 एवं प्राप्तियाँ–के0–8448001200045 में जमा की जायेगी।

6. बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी0एल0खाता संख्या–PLA273 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र01/बादाम कोल ब्लॉक–03/2015 के पृष्ठ संख्या 24/टि0 पर दिनांक 15.03.2017 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सख्या–प्र01/बादाम कोल ब्लॉक–03/2015 के पृष्ठ संख्या–28/टि0 पर दिनांक–11.05.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र01/बादाम कोल ब्लॉक–03/2015 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र01/बादाम कोल ब्लॉक–03/2015 1768 **पटना, दिनांक**– 29/05/2017

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग/लेखा शाखा विभाग (तीन प्रतियों में) पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना /अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।